

प्ररूप-32

[नियम 23 (15)]

परिवार में पालन पोषण संबंधी देखभाल

अथवा

सामूहिक पालन पोषण संबंधी देखभाल का आदेश

श्री.....तथा श्रीमती.....का पुत्र / पुत्री (नाम एवं पता)
..... जिनकी आयु लगभग है, को किसी परिवार की देखरेख तथा संरक्षण की
जरूरत है।

श्रीतथा श्रीमती.....निवासी (पूरा पता एवं संपर्क नम्बर)
..... को वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के
बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

अथवा

बाल देखरेख संस्था (नाम एवं पता) को वैयक्तिक देखरेख योजना और बाल अध्ययन
रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

बालक (नाम)..... को उक्त बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता (नाम तथा संपर्क
नम्बर)की देखरेख मेंअवधि के लिए पालन पोषण देखभाल में स्थापन
किया जाता है।

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति